तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 47/2024 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2024/46)

अनवानः

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह जाति राजपूत, साकिन खुईयां, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजू सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति राजपूत साकिन खुईया तहसील नोहर जिला बीकानेर।

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र श्री भगतुराम जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

27.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील तहसीलदार राजस्व नोहर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत कानूनी आपत्ति पर बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक रेस्पो. ने दौराने प्राथमिक कानूनी आपत्ति पर बहस करते हुए अवगत कराया कि तहसीलदार नोहर के कन्वर्जन आदेश दिनांक 29.03.2022 से अपीलांट एग्रीव्ड ही नहीं है। रेस्पोडेन्ट की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है, जिस में से कुछ भूमि का तहसीलदार नोहर से आवासीय कन्वर्जन नियम 2007 के प्रावधान के तहत नियमानुसार करवाया हुआ है। न्यायालय हाजा में एक ही आदेश तहसीलदार नोहर दिनांक 29.03.2022 व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के आदेश दिनांक 14.05.2024 के विरूद्ध दो अपील जैरकार है। समान भूमि, समान पक्षकार व समान अनुतोष मांगा गया है। एक ही अदालत में इस प्रकार के दो प्रकरण चल नही सकते। धारा 10 सीपीसी लागू होती है। इसी स्तर पर दोनों अपील खारिज योग्य है। इस संबंध में आर.आर.डी. 1993 पेज 797 अवलोकनीय है। रेस्पो. के कन्वर्जन आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट एग्रीव्ड नहीं है। अपील पेश करने की थर्ड पार्टी को अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है। इस संबंध में आर.आर.डी. 2012 पेज 323 व आर.आर.डी. 1993 पेज 796 अवलोकनीय है। अगर गोचर की भूमि है तो सरपंच चाराजोही करेगा। जवाब व जमाबन्दी संलग्न पेश है। आर.आर.डी. 1973 पेज 143 हाईकोर्ट अवलोकनीय है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी पेश कर अवगत कराया कि दिनांक 29.03.2022 के विरूद्ध अपील जैरकार होना स्वीकार है परन्तु उक्त अपील अपर जिला कलक्टर नोहर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील पेश की गई है। तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 29.03.2022 व ए.डी.एम. नोहर के आदेश दिनांक 14.05.2024 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। उक्त दोनों अपीलों में समान अनुतोष नहीं है। दोनों अपीलों में अलग–अलग अनुतोष है। धारा 10 सीपीसी के प्रावधान चस्पा नहीं होता है इसलिए वाद में प्रस्तु अपील रोकी नहीं जा सकती है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 10 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वो सिर्फ दावा को ही स्टे करने के बाबत है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा गलत तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। कन्वर्जन की गई भूमि मौके अनुसार ग्राम की गोचर भूमि हैं। प्रकरण गोचर भूमि व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी भूमि के बीच का है, जिससे अपीलांट सार्वजनिक हित में अपील पेश कर सकते है। अपीलांट ग्रामीण होने व गोचर भूमि का विवाद होने से हितबद्ध पक्षकार है। कन्वर्जन के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में लाई करती हैं, जो कानूनन पेश की गई है। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अभिभाषक रेस्पो. की कानूनी आपति खारिज की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी आपतियों व जवाब प्राथमिक कानूनी आपतियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा की गई प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय तहसीलदार नोहर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित करते हुए रोही मौजा खुईयां तहसील नोहर के खसरा नंबर 324/1 की 0.400 हैक्टेयर भूमि का आवासीय भूमि में रूपांतरण कर दिया। उक्त वादगत संपरिवर्तित भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 की खातेदारी भूमि है, जिसका रेस्पोडेन्ट सं. 1 को संपरिवर्तन करवाने का अधिकार है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने प्रार्थना पत्र बहस ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। उक्त परिपेक्ष्य में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर